इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235] भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जुलाई 2026—श्रावण 5, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2026

क्र. 7113—130—इक्कीस—अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में **मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026)** का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
NO.10 OF 2026

THE MADHYA PRADESH NIRSAN VIDHEYAK, 2026

A Bill to repeal certain enactments.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-Seventh year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2026.

Repeal of certain enactments.

2. The enactments specified in the Schedule are hereby repealed to the extent mentioned in the fourth column thereof.

Savings.

3. The repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force :-

THE SCHEDULE

[see section 2]

REPEALS

Sr.No. (1)	Year (2)	No. (3)	Short title (4)	Extent of repeal (5)
1.	1933	2	Debt Conciliation Act (Central Province and Berar Region) 1933 (No. 2 of 1933).	The whole
2.	1937	4	Protection of Debtors Act (Central Province Region) 1937 (No. 4 of 1937).	The whole
3.	1937	3	Famine Relief Fund Act, 1937 (Central Province and Berar Region) (No. 3 of 1937).	The whole
4.	1939	14	Relief of Indebtedness Act (Central Province and Berar Region) 1939 (No. 14 of 1939).	The whole
5.	1940	3	Vidya Mandir Act (Central Province and Berar Region) 1940 (No. 3 of 1940).	The whole
6.	1944	3	The Madhya Pradesh Regulation of Couching Act, 1944 (No. 2 of 1944).	The whole
7.	1947	42	Land Survey Act (Central Province and Berar Region) 1947 (No. 42 of 1947).	The whole

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government is committed to repeal the useless and ineffective laws (Madhya Pradesh Acts) lying on the Statute Book, which are obsolete, redundant or lost their significance. The Government of Madhya Pradesh has identified 7 Acts so far for repeal by the Madhya Pradesh Legislative Assembly, for which consent of the concerning administrative department have been obtained.

2. As part of the ongoing initiative of the State Government, the present proposal of the State Government is to repeal 7 useless and ineffective laws by the State Legislative Assembly. An appropriate saving clause has been incorporated in the Bill. On being enacted, it would reduce useless and ineffective laws and bring in clarity to those for whose benefit the laws are enacted.

3. Hence this Bill.

GOUTAM TETWAL

Member-in-Charge.

Bhopal :

Dated the 19th July, 2026.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206] भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई 2026—आषाढ़ 29, शक 1948

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2026

क्र. 12573--मप्रविस–16–विधान–2026.– मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम–64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026 (क्रमांक 10 सन् 2026) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2026 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अरविन्द शर्मा,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२६

मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, २०२६

कतिपय अधिनियमितयों का निरसन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सतहत्तरहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०२६ है.

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.

२. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कॉलम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्वारा निरसन किया जाता है.

व्यावृत्ति.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, प्रभाव नहीं पड़ेगा;

और यह अधिनियम, पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा,

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है. पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची
(धारा २ देखिए)
निरसन

अनुक्रमांक (१)	वर्ष (२)	क्रमांक (३)	संक्षिपत नाम (४)	निरसन की सीमा (५)
१	१९३३	२	डेट कन्सीलिएशन एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९३३ (क्रमांक २ सन् १९३३)	संपूर्ण
२	१९३७	४	प्रोटेक्शन ऑफ डेटर्स एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स रीजन) १९३७ (क्रमांक ४ सन् १९३७)	संपूर्ण
३	१९३७	३	फेमाइन रिलीफ फण्ड एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९३७ (क्रमांक ३ सन् १९३७)	संपूर्ण
४	१९३९	१४	रिलीफ ऑफ इनडेटेडनेस एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९३९ (क्रमांक ४ सन् १९३९)	संपूर्ण
५	१९४०	३	विद्या मंदिर एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९४० (क्रमांक ३ सन् १९४०)	संपूर्ण
६	१९४४	३	द मध्यप्रदेश रेगूलेशन अहृफ काउचिंग एक्ट १९४४ (क्रमांक २ सन् १९४४)	संपूर्ण
७	१९४७	४२	लेण्ड सर्वे एक्ट (सेन्ट्रल प्रोविन्स एण्ड बरार रीजन) १९४७ (क्रमांक ४२ सन् १९४७)	संपूर्ण

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार कानूनी पुस्तक में की अनुपयोगी और प्रभावहीन विधियों (मध्यप्रदेश अधिनियमों) के निरसन के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि अप्रचलित है, अनावश्यक हैं या महत्वहीन हो चुकी है. मध्यप्रदेश शासन ने अब तक ७ अधिनियमों को चिन्हांकित किया है, जिन्हे मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा निरसित किया जाना है, जिनके लिए संबंधित प्रशासकीय विभाग की सहमति प्राप्त की जा चुकी है.

२. राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के ही एक भाग के रूप में, राज्य विधान सभा द्वारा ७ अनुपयोगी और प्रभावहीन विधियों को निरसित किए जाने का राज्य सरकार का वर्तमान प्रस्ताव है. विधेयक में एक समुचित व्यावृत्ति खण्ड सम्मिलित किया गया है. अधिनियमित हो जाने पर यह अनुपयोगी एवं प्रभावहीन विधियों को कम करेगा और उन लोगों के लिए स्पष्टता लाएगा जिनकी प्रसुविधा कि लिए विधियां अधिनियमित की गई हैं.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १६ जुलाई, २०२६.

गौतम टेटवाल
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.